कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–एफ.3–15(सी)AA-1021/अनु:3/डी: 736 दिनांकः 15/6/22

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पंजीयन आदेश संख्याः–एफ.3–15(सी)AA-1021/अनु:3/डी–954 दिनांक 03.07.2019 द्वारा **मैसर्स एस.एस.सोढा एण्टरप्राइजेज, ग्राम पोस्ट सुन्दरा, तहसील गड़रा रोड़, जिला–बाड़मेर** को 'एए' श्रेणी में अस्थायी रुप से पंजीकृत किया गया था। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग–द्वितीय, जोधपुर द्वारा पत्रांक–3108 दिनांक 08.02.2022 द्वारा अवगत कराया है कि अनुबन्ध संख्या 03 वर्ष 2020–21 (Constt. Of Various Roads under BADP 2019-20 Distt. Jaisalmer, Package No. RJ-17-05/JSM-II/BADP 2019-20) राशि रुपये 10065443.00 उक्त फर्म को आवंटित किया गया था। उक्त कार्य प्रारम्भ करने बाबत फर्म को बार–बार नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी कार्य करने में कोई रुचि नहीं दिखाई एवं कार्य प्रारम्भ कर अधूरा छोड़ दिया गया। खण्ड कार्यालय द्वारा पुनः फर्म को कार्य पूर्ण करने बाबत नोटिस जारी किये गये किन्तु फर्म द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिसके फलस्वरुप संभाग कार्यालय द्वारा उक्त फर्म के विरुद्ध पंजीयन नियमानुसार कार्यवाही करने बाबत अभिशंषा से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है। इस सम्बन्ध में फर्म को इस कार्यालय के पत्रांक–3192 दिनांक 28.03.2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका प्रत्युत्तर फर्म द्वारा पत्र दिनांक 07.04.2022 प्रस्तुत किया गया। फर्म द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण सम्बन्धित संभाग कार्यालय से करवाये जाने पर फर्म का प्रत्युत्तर असन्तोषजनक पाया गया।

अति.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग–द्वितीय, जोधपुर के पत्रांक 3108 दिनांक 08.02.2022 द्वारा प्रस्तुत अभिशंषा के आधार पर मैसर्स एस.एस.सोढा एण्टरप्राइजेज, ग्राम पोस्ट सुन्दरा, तहसील गड़रा रोड़, जिला–बाड़मेर के उक्त पंजीयन को **लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम 334 के परिशिष्ट XVI, अनुभाग VIII पैरा VIII.5(I) के अनुसरण में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि हेतु समस्त निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।** साथ ही फर्म को इस अवधि में किसी भी श्रेणी में पुनः पंजीयन हेतु अयोग्य करार दिया जाता है।

(संजीव माथुर)
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. महालेखाकार,राजस्थान,जयपुर।
2. मुख्य अभियंता,सिंचाई/जन–स्वास्थ्य अभि. विभाग/भू–जल विभाग, जोधपुर।
3. मुख्य अभियंता(सिविल) राज.राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.,जयपुर।
4. आवासन आयुक्त,राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर।
5. प्रबन्धक निदेशक,आर.एस.आर.डी.सी.सी.लि.,जयपुर।
6. अति.मुख्य अभियंता,सा.नि.वि. (समस्त)
7. निदेशक अभियांत्रिक,जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।
8. सचिव ,राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,जयपुर।
9. अधीक्षण/अधिशाषी अभियंता,सा.नि,वि, (समस्त)
10. तकनीकी सहायक प्रथम/अधीक्षण अभियंता(भवन/पथ/राराऊ मार्ग/वित्तीय सलाहकार/ सा.नि.वि.जयपुर।
11. प्रभारी, ई–टेंडरिंग, मुख्य अभियंता कार्यालय, सा.नि.वि., जयपुर
12. **मैसर्स एस.एस.सोढा एण्टरप्राइजेज, ग्राम पोस्ट सुन्दरा, तहसील गड़रा रोड़, जिला–बाड़मेर**

15.6.22
(आरिफ मोहम्मद खान)
अधीक्षण अभियन्ता एवं तक. सहायक प्रथम
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर